

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी—श्री सुदर्शन सिंह तोमर

क०सं०	पत्रावली सं०	दर्ज दिनांक	उपनाम	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	01/2025 (2025/170)	01/07/2025	सरकार बनाम मुबारिक	30.03.2028	1 लगायत 3

1. राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर। —सायल(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री मुबारिक पुत्र सरफुददीन जाति तेली मुसलमान उम्र 28 साल निवासी मदीना मज्जिद के पास चुलीगेट गंगापुर सिटी थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।
—गैर सायल(अप्रार्थी)

अभियोग—पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975

पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल(अप्रार्थी) श्री मुबारिक पुत्र सरफुददीन जाति तेली मुसलमान उम्र 28 साल निवासी मदीना मज्जिद के पास चुलीगेट गंगापुर सिटी थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल(अप्रार्थी) के विरुद्ध पुलिस थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में निम्न अभियोग पंजीवद्ध होना बताया है।

क.सं	मु०नं०	दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	दिनांक	निर्णय का विवरण
1	59/2025	26.02.2025	13 RPGO	17	01.02.2025	100 रू० के अर्थदण्ड से दण्डित
2	275/2024	12.09.2024	13 RPGO	111	27.09.2024	100 रू० के अर्थदण्ड से दण्डित

इस्तगासा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि गैरसालय (अप्रार्थी) श्री मुबारिक पुत्र सरफुददीन जाति तेली मुसलमान उम्र 28 साल निवासी मदीना मज्जिद के पास चुलीगेट गंगापुर सिटी थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में रहता है। जो बचपन से ही गलत संगत में पड़ जाने से सरेआम सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने का अभ्यस्त अपराधी हो गया है। जिसके विरुद्ध अब तक 04 प्रकरण थाने में दर्ज हो चुके हैं। जिसमें से दो प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोषी मानते हुए दण्डित किया है। लेकिन शख्स उपरोक्त बेखौफ होकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने अभ्यस्त हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप आमजन का परिवार संकट में पड़ गया है। गैरसायल सम्पूर्ण समाज के लिए खतरा हो चुका है। ऐसे व्यक्ति का स्वतंत्र रहना आमजन के लिए परिसंकटमय हो गया है। अतः गैरसायल श्री मुबारिक पुत्र सरफुददीन जाति तेली मुसलमान उम्र 28 साल निवासी मदीना मज्जिद के पास चुलीगेट गंगापुर सिटी थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही करने की कृपा की जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
मु0नं0 01/25 सरकार बनाम मुबारिक


अभियोग पत्र के साथ तालिका मे अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट, चार्जशीट प्रतियां प्रस्तुत की है।

अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के नियम-4 मे उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल स्वयं उपस्थित होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष से दौराने बहस निवेदन किया कि गैरसायल के खिलाफ वर्तमान में पुलिस थाना, गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी में 2 मुकदमें दर्ज है। जिसमें 2 मुकदमों में गैरसायल को 2 बार 100-100 रु0 के जुर्माना से दण्डित किया हुआ है। गैरसायल कई वर्षों से अपराधों में लिप्त रहा है एवं रूपयों से हार जीत का दाब लगाकर सट्टे की खाईवाली करता है। गैरसायल को अब तक जुआ के मुकदमों में 2 बार सजा हो चुकी है। गैरसायल का इतना आंतक है कि आम जन इसके खिलाफ गवाही देने व रिपोर्ट करने से डरता है। गैरसायल इलाके में और आमजन को आमशान्ति से रहने के लिए खतरा एवं नुकसान दायक है। अतः गैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

गैरसायल ने दौराने बहस निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण सन् 2025 से विचाराधीन है। गैरसायल तभी से अनवीक्षा भुगत रहा है। गैरसालय द्वारा वर्तमान में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाता है। गैरसायल मजदूर पेशा व्यक्ति है। गैरसायल मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी कभी भी आपराधिक कार्यों में लिप्त नहीं रहा है। और ना ही कभी भी जुआं एवं सट्टा आदि लगाने का कार्य किया है। साथ ही गैर सायल ने गैर सायल के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए उक्त प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी व गैर सायल की बहस सुनने व मनन करने तथा अभियोग पत्र पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य का भलीभांति अवलोकन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि गैरसायल के खिलाफ पुलिस थाना, गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी में 2 मुकदमें दर्ज है। राजस्थान सार्वजनिक द्युत अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत 2 बार दोषी मानते हुए दण्डित किया गया हैं। जिसमें 2 मुकदमों में गैरसायल को 2 बार 100-100 रु0 के जुर्माना से दण्डित किया हुआ है। जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है के गैरसायल की गतिविधियों से लोक व्यवस्था में विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। उक्त आधार पर गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यावाही करना न्याय संगत है।


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
मु0नं0 01/25 सरकार बनाम मुबारिक

अतः पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क),(ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट स्थितियां विद्यमान हैं। अतः राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैरसालय को 07 दिन की अवधि के लिए सवाई माधोपुर जिले से थाना बदर करने का आदेश देता हूँ।

गैरसालय आज की तारीख से 15 दिन पश्चात् यानि 16.04.2026 से 07 दिन के लिए जिला करौली के थाना कुडगांव में दिन में एकबार प्रतिदिन अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी कुडगांव गैरसालय की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे तथा साप्ताहिक रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रेषित करेंगे। थानाधिकारी थाना गंगापुर सिटी गैरसालय को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियम तिथि को थाना कुडगांव जिला करौली में पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे।

थानाधिकारी, थाना कुडगांव को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिदिन उक्त गैरसालय की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाने की सुनिश्चितता करेंगे एवं थानाधिकारी, थाना गंगापुर सिटी गैरसालय के कस्बा गंगापुर सिटी में वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी की जावे तथा प्रति सूचनार्थ जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर एवं जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर को दी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर वाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
गंगापुर सिटी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी